



10x1210 28

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
455 24/8/13	26/8/13	26/8/13	

नकल आदेश दिनांक 31/5/13

वाक सं० 17 धारा 143 ज० वि० अ०
 न्यायालय अपील अधिकारी सफ लडीहा चन्दीली
 भोजपुर जिला आवाजापुर प० महाइंच सह० सफ लडीहा चन्दीली

श्री श्री जेष्ठम विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय -
 आवाजाही चन्दीली जिला भोजपुर जग प्रकाश
 सिंह ठनाम

प्रकाश

जय प्रकाश चेरिटेबल ट्रस्ट
 अध्यक्ष/प्रबन्धक

P.T-0 31/5/13

न्यायालय - उप जिलाधिकारी स्कलडीहा, चन्दौली।

संख्या १७

अन्तर्गत धारा-143ज0वि0अधि0

मौजा-आवाजापुर, परगना-महाईच, तहसील-
स्कलडीहा, जिला-चन्दौली।

शहीद कैप्टन विजयप्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर चन्दौली के लिए प्रबन्धक

जयप्रकाश सिंह ----- बनाम ----- सरकार।
निर्णय

शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय आवाजापुर, चन्दौली के लिए प्रबन्धक जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 बल्लोक सिंह निवासी ग्राम आवाजापुर परगना महाईच, तहसील स्कलडीहा, जिला चन्दौली द्वारा धारा 143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा आवाजापुर, परगना महाईच, तहसील स्कलडीहा के आ0नं0331/0.510हे0 व 332/0.524हे0 का बैनामा क्रिस्तागण क्रमशः विरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रगण चतुर्पुन से कराकर प्राप्त किया। उक्त आराजियात में महाविद्यालय का भवन बन चुका है और शिक्षण कार्य होता है, इस आराजियात में कृषि कार्य नहीं होता है, पूर्णरूपेण आबादी हो चुकी है। अन्त में निवेदन किया गया है कि सन्दर्भित आराजियात को आबादी श्रेणी 6828 घोषित करने का कष्ट करें, ताकि न्याय होवे। प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी सं1416फ0लगा01421फ0 मौजा आवाजापुर, परगना महाईच, तहसील-स्कलडीहा धाता सं0343 गाटा सं0 332/0.524हे0 व धाता सं0435 गाटा सं0331 रकवा0.510हे0 एवं नकल खसरा संलग्न है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार स्कलडीहा से करायी गयी। तहसीलदार ने क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से जांच कराकर निर्धारित प्रारूप पर आख्या प्रस्तुत की है। उक्त तहसीलदार की आख्या दिनांक 01/7/11 में उल्लिखित किया गया है कि बाउण्ड्री में सागौन के पेड़ लगे हैं। दौरान मुकदमा प्रार्थी विजयप्रताप सिंह द्वारा इस आशय का प्रा0-पत्र प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मौके के विपरित रिपोर्ट लगायी गयी है। इसकी पुनः जांच तहसीलदार स्कलडीहा से कराकर कार्यवाही की जाय। जिसपर तहसीलदार स्कलडीहा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 11-4-13 प्रस्तुत की है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि मौजा आवाजापुर स्थित आ0नं0331/0.510हे0 व आ0नं0432/0.524 के स्थलीय निरीक्षण में दोनों आराजी मौके पर सम्मिलित भूमि है, जिसमें विद्यालय भवन बना है एवं छाया हेतु सागौन के पेड़ लगाये गये हैं। कोई कृषि कार्य नहीं होता है। क्षेत्रीय लेखपाल का बयान कराया गया है, जिसमें लेखपाल द्वारा विवादित भूमि में 5 साल पूर्व से विद्यालय कायम होना बताया गया है।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन/परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल-खतौनी से स्पष्ट है कि वादी प्रश्नगत आराजियात को बैनामा के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के धाते में नाम अंकित है। तहसीलदार स्कलडीहा की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजियात पर विद्यालय व विद्यालय की बाउण्ड्री, पेड़ लगे हैं। इसपर कृषि कार्य नहीं होता है। इसकी पुष्टि लेखपाल ने भी अपने बयान में किया है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रकाश चेरिटेबल ट्रस्ट
अध्यक्ष/प्रबन्ध

हा, जिला चन्दौली में स्थित आ०नं० 331/0.510है० व आ०नं० 332/0.524है०
 आते से धारिज कर गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। आदेश की
 प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार सकलडीहा को भेजी जाय एवं एक प्रति
 निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक सकलडीहा को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही
 पत्रावली दाखिल-दफ्तर-होवे।

दिनांक :

Yamla a

31/5/13
 उप जिलाधिकारी,
 सकलडीहा।

R
 (सिद्ध)

जमाया उप जिलाधिकारी
सकलडीहा चन्दौली
 26/5/13

M